"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 533 ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 अक्टूबर 2014—— आश्विन 30, शक 1936

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-15/दो-गृह/रापुसे/2014. —— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (तृतीय श्रेणी तकनीकी) सेवा की भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

### नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**.-(1) ये नियम छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक तृतीय श्रेणी (तकनीकी) सेवा भर्ती नियम, 2014 कहलाएंगे ।

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** .- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकारी जिसे शासन द्वारा सेवा या पदों में नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान की गई हो या बाद में प्रदान की जाये अथवा जैसा कि अनुसूची-एक के कॉलम (6) में विनिर्दिष्ट है ;

   (ख) "समिति" से अभिप्रेत है नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति ;

   (ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा ;

   (घ) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन ;

   (ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ;

   (च) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग ;

   (छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;

   (ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ;

(झ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक तृतीय श्रेणी (तकनीकी) सेवा;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.–** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.–** सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.–** सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में, समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका.–** (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्:–

(क) प्रतियोगिता परीक्षा अथवा चयन के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, शासन के परामर्श से अवधारित की जायेगी।

(4) उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) मेरिट के आधार पर चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये मापदण्ड शासन द्वारा विहित किया जायेगा। तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी के लिये आवश्यक होगा कि वह इस प्रयोजन के लिये एक चयन समिति गठित करे जो इन मापदण्डों से भिन्न अन्य कोई युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(6) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा इस अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधित) लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.**– सीधी भर्ती/चयन के लिए पात्र होने के लिये, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात्:–

**(एक) आयु**– (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमी-लेयर) से संबंधित हों तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये, उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(घ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:-

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण-** शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण**— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफरिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात्:—

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें—

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है);

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशण्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

**टीप**–(1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपरोक्त नियम 8 के खण्ड (घ) के उप–खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन, परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात, सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ट) अभ्यर्थी, जिन्हें उनके संवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/विधवा/तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु

सीमा में छूट का लाभ प्राप्त हो रहा है, को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन आयु में छूट प्राप्त करने के उपरांत भी अधिकतम आयु, किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

**(दो) शैक्षणिक अर्हताएं.**– अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होना चाहिए जैसा कि अनुसूची-तीन में दर्शित है।

**(तीन) फीस.**– अभ्यर्थी को शासन द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.**– (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ्य, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा

सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.–** (1) परीक्षा/चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नही किया गया हो, परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के लिए अनुज्ञात नही किया जायेगा।

**(2) चयन प्रक्रिया के प्रक्रम पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि** शासन के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दिया जायेगा।

11. **प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती.— (क) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती—** (1) **चयन समिति का गठनः—** (एक) नियुक्ति प्राधिकारी निम्नानुसार एक चयन समिति गठित करेगाः—

| | |
|---|---|
| 1. पुलिस महानिदेशक | अध्यक्ष |
| 2. पुलिस अधीक्षक/सेनानी | सदस्य |
| 3. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा नामांकित अधीक्षण अभियंता की श्रेणी का अधिकारी | सदस्य |
| 4. अभियंता, छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन | सदस्य |

परन्तु चयन समिति का कम से कम एक सदस्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अल्पसंख्यक समुदाय से होगा।

**(2) प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती—** सेवा में भर्ती के प्रयोजन के लिये, प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अन्तरालों में आयोजित की जायेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, शासन के परामर्श से, विनिश्चित की जाये। प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन निम्नलिखित रीति में किया जायेगा, अर्थात्:—

**(क) प्रथम चरणः— आवेदन पत्रों की छानबीन—** प्रतियोगिता परीक्षा के अधीन सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिये सर्वप्रथम इच्छुक अभ्यर्थियों से विज्ञापन के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जायेगा तथा दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा। वे अभ्यर्थी, जो दस्तावेजों के सत्यापन में पात्र पाये गये हों, भर्ती परीक्षा के आगामी चरण में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

**(ख) द्वितीय चरणः— (एक) सामान्य ज्ञान लिखित परीक्षा—** सामान्य ज्ञान परीक्षा, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी जो 50 अंकों की होगी। प्रत्येक प्रश्न, एक अंक के

होंगे। सामान्य ज्ञान परीक्षा के पश्चात, विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 15 गुणा आवेदकों को, अभिप्राप्त अंक के आधार पर एवं जाति संवर्गवार भर्ती परीक्षा के आगामी चरण में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

**(दो) व्यवसायिक ज्ञान लिखित परीक्षा–** व्यवसायिक ज्ञान परीक्षा, 100 अंकों की होगी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। व्यवसायिक परीक्षा में, पदों से संबंधित ट्रेड के प्रश्न पूछे जायेंगे। इस परीक्षा में अर्ह होने के लिये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को, 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना होगा तथा अनारक्षित (सामान्य) संवर्ग के अभ्यर्थियों को, 50 प्रतिशत अंक अर्जित करना होगा।

**(तीन) बोनस अंक (30 अंक):–** अभ्यर्थियों को नीचे उल्लेखित शीर्ष की विशेष योग्यता के प्रयोजन हेतु प्रत्येक शीर्ष में 10 अंक आबंटित किये गये हैं–

(क) एन.सी.सी में "सी" प्रमाणपत्र धारक अभ्यर्थी।

(ख) नक्सल पीड़ित परिवार से संबंधित तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित अभ्यर्थी।

(ग) न्यूनतम व्यवसायिक योग्यता के रूप में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा के स्थान पर 4 वर्षीय इंजीनियरिंग स्नातक प्रमाणपत्र धारक अभ्यर्थी।

**(चार) साक्षात्कार (20 अंक):–** साक्षात्कार 20 अंक का होगा, जिसके दौरान अभ्यर्थी के व्यक्तित्व, अभिव्यक्ति, संबोधन एवं सामान्य ज्ञान के अनुसार अंक दिया जायेगा।

**(पांच) चयन सूची:–** कुल 200 अंकों (सामान्य ज्ञान– 50 अंक + व्यवसायिक ज्ञान– 100 अंक + बोनस– 30 अंक तथा साक्षात्कार– 20 अंक) का होगा। सर्वप्रथम, सभी संवर्गो के अभ्यर्थियों में से अनारक्षित पदों के लिये मेरिट सूची तैयार की जायेगी, इस सूची में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के आरक्षित वर्गो के ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल होंगे, जो मेरिट सूची के आधार पर पात्र हैं तथा अनारक्षित पदों के लिये पात्रता मानदंड भी पूरी करते हैं। तत्पश्चात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा

अन्य पिछड़े वर्गो हेतु विज्ञापित आरक्षित पदों के लिये जातिवार पृथक–पृथक मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

**(छः) चयन सूची का अनुमोदनः–** (क) परीक्षा उपरान्त, तत्काल, चयन समिति द्वारा चयन सूची तैयार की जाकर, पुलिस मुख्यालय के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समस्त आवश्यक अभिलेख के साथ पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन/छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, पुलिस मुख्यालय रायपुर को प्रेषित की जायेंगी, जिसका उनके द्वारा परीक्षण करने के उपरान्त, अनुमोदन किया जायेगा।

(ख) चयन सूची या तो पूरी तरह अनुमोदित की जायेगी अथवा पूरी तरह निरस्त की जायेगी, कुछ नामों को अनुमोदित तथा कुछ नामों को निरस्त नहीं किया जायेगा। चयन सूची के अनुमोदन न करने की स्थिति में, अनुमोदनकर्ता अधिकारी, चयन सूची निरस्त करने के समय कारणों का उल्लेख करेगा।

(3) सीधी भर्ती के लिये उपलब्ध रिक्तियों में से उन अभ्यर्थियों, जो छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्य है, के लिए पद आरक्षित रखे जायेंगे।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को दृष्टिगत रखते हुए, नियुक्ति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पात्र घोषित किया गया हो, उप–नियम (2) के अनुसार, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे। यह आरक्षण, समस्तर और प्रभागवार होगा।

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों के लिये अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) उपरोक्त के अतिरिक्त, निःशक्त व्यक्ति एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये पदों को शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

**(ख) चयन के माध्यम से सीधी भर्ती**– (1) (एक) सेवा के लिये अभ्यर्थियों का चयन, ऐसे अंतरालों से किया जायेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी अवधारित करे।

(दो) अभ्यर्थियों का चयन, उनके साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

(तीन) चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समुचित समय अन्तरालों पर, गठित की जायेगी।

(2) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा इस अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(4) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को दृष्टिगत रखते हुए, नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा पात्र घोषित किया गया हो, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे। यह आरक्षण, समस्तर और प्रभागवार होगा।

(6) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के लिये अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(7) उपरोक्त के अतिरिक्त, निःशक्त व्यक्ति एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये पदों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

12. **समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.-** (1) समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हो जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की सूची, जो उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, तैयार करेगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी।

(3) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम सूची में आये हों।

(4) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये, कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. **परिवीक्षा.**— सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

14. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

15. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो ।

16. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**— (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**डी. के. माथुर,** उप-सचिव.

# अनुसूची–एक

(नियम 5 देखिए)

| स. क्र. | सेवा में सम्मिलित पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | ग्रेड वेतन | नियुक्ति प्राधिकारी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | कनिष्ठ अभियन्ता–आर्किटेक्ट | 02 | अराजपत्रित राज्य संवर्ग पद | 9300–34800 | 4200 | पुलिस महानिरीक्षक |
| 2. | उप निरीक्षक (कनिष्ठ अभियन्ता–सिविल) | 34 | –तदैव– | 9300–34800 | 4200 | –तदैव– |
| 3. | उप निरीक्षक (कनिष्ठ अभियन्ता–इलेक्ट्रिकल) | 22 | –तदैव– | 9300–34800 | 4200 | –तदैव– |
| 4. | उप निरीक्षक (कनिष्ठ अभियन्ता–कम्प्यूटर प्रशिक्षित) | 04 | –तदैव– | 9300–34800 | 4200 | –तदैव– |
| 5. | उप निरीक्षक (कनिष्ठ अभियन्ता–सर्वे) | 20 | –तदैव– | 9300–34800 | 4200 | –तदैव– |
| 6. | सहायक उप निरीक्षक (मानचित्रकार) | 02 | –तदैव– | 9300–34800 | 4200 | –तदैव– |
| 7. | प्रधान आरक्षक (टायपिस्ट) | 04 | –तदैव– | 5200–20200 | 2200 | पुलिस अधीक्षक / सेनानी |
| 8. | प्रधान आरक्षक (फिटर) | 04 | –तदैव– | 5200–20200 | 2200 | –तदैव– |
| 9. | प्रधान आरक्षक (आटोमेकेनिक) | 04 | –तदैव– | 5200–20200 | 2200 | –तदैव– |

# अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिए)

| स. क्र. | सेवा का नाम | पदों की संख्या | भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशत | | | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सीधी भर्ती द्वारा नियम 6 (1) (क) देखिये | सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम 6 (1) (ख) देखिये | अन्य सेवाओं से अस्थाई स्थानान्तरण द्वारा नियम 6 (1) (ग) देखिये | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | कनिष्ठ अभियन्ता –आर्किटेक्ट | 02 | 100% | – | – | – |
| 2. | उप निरीक्षक (कनिष्ठ अभियन्ता–सिविल) | 34 | 100% | – | – | – |
| 3. | उप निरीक्षक (कनिष्ठ अभियन्ता –इलेक्ट्रिकल) | 22 | 100% | – | – | – |
| 4. | उप निरीक्षक (कनिष्ठ अभियन्ता –कम्प्यूटर प्रशिक्षित) | 04 | 100% | – | – | – |
| 5. | उप निरीक्षक (कनिष्ठ अभियन्ता–सर्वे) | 20 | 100% | – | – | – |
| 6. | सहायक उप निरीक्षक (मानचित्रकार) | 02 | 100% | – | – | – |
| 7. | प्रधान आरक्षक (टायपिस्ट) | 04 | 100% | – | – | – |
| 8. | प्रधान आरक्षक (फिटर) | 04 | 100% | – | – | – |
| 9. | प्रधान आरक्षक (आटोमेकेनिक) | 04 | 100% | – | – | – |

# अनुसूची—तीन
(नियम 8 देखिए)

| स. क्र. | सेवा तथा पदों का नाम | न्युनतम आयु सीमा | अधिकतम आयु सीमा | विहित शैक्षणिक अर्हताएं | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | कनिष्ठ अभियन्ता —आर्किटेक्ट | 18 वर्ष | 30 वर्ष | 12 वी कक्षा उत्तीर्ण एवं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा | |
| 2. | उप निरीक्षक (कनिष्ठ अभियन्ता —सिविल) | 18 वर्ष | 30 वर्ष | 12 वी कक्षा उत्तीर्ण एवं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा | |
| 3. | उप निरीक्षक (कनिष्ठ अभियन्ता —इलेक्ट्रिकल) | 18 वर्ष | 30 वर्ष | 12 वी कक्षा उत्तीर्ण एवं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा | |
| 4. | उप निरीक्षक (कनिष्ठ अभियन्ता —कम्प्यूटर प्रशिक्षित) | 18 वर्ष | 30 वर्ष | 12 वी कक्षा उत्तीर्ण एवं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर इजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा | |
| 5. | उप निरीक्षक (कनिष्ठ अभियन्ता—सर्वे) | 18 वर्ष | 30 वर्ष | 12 वी कक्षा उत्तीर्ण एवं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा | |
| 6. | सहायक उप निरीक्षक (मानचित्रकार) | 18 वर्ष | 30 वर्ष | 12 वी कक्षा उत्तीर्ण<br>एवं<br>वास्तुकला में डिप्लोमा<br>या<br>औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रिकल / मेकेनिकल इंजीनियरिंग में मानचित्रकारिता में प्रमाणपत्र<br>या<br>सर्वेक्षक ट्रेड प्रमाणपत्र<br>या<br>इंडस्ट्रियल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (3 वर्षीय) का शिक्षुता प्रमाणपत्र | |
| 7. | प्रधान आरक्षक (टायपिस्ट) | 18 वर्ष | 30 वर्ष | 12 वी कक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा डाटा एण्ट्री में 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिये। | |
| 8. | प्रधान आरक्षक (फिटर) | 18 वर्ष | 30 वर्ष | 10वी कक्षा उत्तीर्ण एवं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आई.टी.आई. अथवा समकक्ष संस्था से फिटर ट्रेड प्रमाणपत्र। | |
| 9. | प्रधान आरक्षक (आटोमेकेनिक) | 18 वर्ष | 30 वर्ष | 10वी कक्षा उत्तीर्ण एवं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आई.टी.आई. अथवा समकक्ष संस्था से आटोमेकेनिक ट्रेड प्रमाणपत्र। | |

**टीप**— ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी है के लिये उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश के अनुसार शिथिलनीय होगा।

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ 2-15/दो-गृह/रापुसे/2014. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 22-10-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**डी. के. माथुर,** उप-सचिव.

Raipur, the 22nd October 2014

NOTIFICATION

No. F 2-15/2-Home/S. P. S./2014. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment to the Chhattisgarh Police Executive Class-III (Technical) Services, namely :-

## RULES

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Police Executive Class-III (Technical) Service Recruitment Rules, 2014.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "**Appointing Authority**" in respect of service means such authority to which the powers of appointments to the service or posts has been conferred or may be conferred later by the Government or as specified in column (6) of Schedule-I;

(b) "**Committee**" means a Selection Committee constituted by the Appointing Authority;

(c) "**Examination**" means the competitive examination held for recruitment to the service under rule 11 of these rules;

(d) "**Government**" means the Government of Chhattisgarh;

(e) "**Governor**" means the Governor of Chhattisgarh;

(f) "**Other Backward Classes**" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;

(g) "**Schedule**" means the Schedule appended to these rules;

(h) **"Scheduled Castes"** means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(i) **"Scheduled Tribes"** means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(j) **"Service"** means the Chhattisgarh Police Executive Class-III (Technical) Service;

(k) **"State"** means the State of Chhattisgarh.

**3. Scope and application.**-Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

**4. Constitution of the service.** - The service shall consist of the following persons, namely :-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

**5. Classification, scale of pay etc.**- The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

**6. Method of recruitment.** - (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely: -

(a) by direct recruitment, through competitive examination or selection;

(b) by promotion of members of the service;

(c) by transfer/deputation of persons, who hold in a substantive capacity such posts in such services, as may be specified in this behalf.

(2) The number of the persons recruited under clause (a), (b) or (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so require, then he may, with the prior concurrence of the General Administration Department of the Government, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) For the post to be filled up by direct recruitment through selection on the merit basis, the criteria shall be prepared by the Government. However, it shall be mandatory for Appointing Authority to be constitute a selection committee for this purpose, which may adopt any other appropriate criteria other than these criteria by the consent of the Government.

(6) At the time of recruitment to the service, the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon

Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994, (No. 21 of 1994) and instructions (as amended) issued from time to time by the General Administration Department of the Government shall apply.

**7. Appointment in service.-** All appointments to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

**8. Conditions of eligibility for direct recruitment.-** In order to be eligible for direct recruitment/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

**(I) Age** – (a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January of the year in which the advertisement for the post is published;

(b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 (Five) years, if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer);

(c) The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 10 years for a women candidate in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh, to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;

(iii) A candidate who is a "retrenched government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 (Seven) years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

**Explanation-** The term "retrenched government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service;

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

**Explanation** -The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service, namely :-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

  (a) Completion of short term engagement;

  (b) Fullfilling the conditions of the enrolment;

(iii) Ex-personnel of Madras Civil Unit;

(iv) Ex-servicemen (Military and Civil) who are discharged on completion of their contract (including Short-Service Regular Commissioned Officers);

(v) Ex-servicemen discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(vi) Ex-Servicemen invalidated out of service;

(vii) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(viii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.

(f) The upper age limit shall also be relaxable up to a maximum of 2 years in respect of green card holder candidates under the Family Welfare Programme;

(g) The upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under Inter-Caste Marriage Promotional Scheme under the Untouchability Eradication Rules, 1984;

(h) The upper age limit shall also be relaxable up to 5 years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdeo Awards holder candidates and National Youth Award holder young candidiates.

(i) The upper age limit shall be relaxed up to 38 years of age in respect of candidates who are the employees of the Chhattisgarh State Corporations/Boards.

(j) The upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard service previously rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

**Note-** (1) The candidates who are admitted to the examination/ selection under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (d) in rule 8 above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case these age limits shall be relaxed. The departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination/ selection.

(k) Candidates obtaining the benefit of relaxation in maximum age limit on the basis of their category (Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Women/ Widow/ Divorcee etc.) shall be given additional relaxation available in maximum age limit as usual, but in any case the maximum age shall not exceed 45 years irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above.

(l) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall also be applicable.

**(II) Educational qualifications:-** The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III.

**(III) Fees:-** The candidate must pay the fees prescribed by the Government.

**9. Disqualification.- (1)** Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means, directly or indirectly, shall be held by the Appointing Authority to a disqualification for appearing in the examination/selection.

**(2)** Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so, then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule to such candidates.

(3) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical default which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(4) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority is satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(5) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

(7) Any candidate who is having more than two living offspring, out of which one is born on 26th January, 2001 or thereafter, shall not be eligible for any service or post:

Provided that any candidate who is already having one living offspring and next delivery takes place on 26th January, 2001 or thereafter in which two or more children are born shall not be disqualified for any service or post.

10. **Appointing Authority's decision about the eligibility of candidates shall be final.-** (1) The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for examination/selection shall be

final and candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall not be allowed to appear in the examination/interview.

(2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to the notice of the Appointing Authority that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Appointing Authority.

11. **Direct Recruitment by Competitive Examination / Selection.- (A) Direct Recruitment through competitive examination- (1) Constitution of Selection Committee:-** (i) Appointing Authority shall constitute a Selection Committee as follows:-

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Inspector General of Police | Chairman |
| 2 | Superintendent of Police/ Commandant | Member |
| 3 | Officer of the rank of Superintendent nominated by Chief Engineer, Public Works Department | Member |
| 4 | Engineer, Chhattisgarh Police Housing Corporation | Member |

Provided that atleast one member of the SelectionCommittee shall be from the community of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Minorities.

**(2) Competitive examination-** For the purpose of recruitment to the service, competitive examination shall be organized between such intervals as may be decided by the Appointment Authority with the

consultation of the Government.Selection through competitive examination shall be conducted in the following manner, namely:-

**(a) First Phase:- verification of application forms-** Firstly, applications will be invited in prescribed proforma through advertisement from interested candidates for the purpose of direct recruitment under competitive examination and then verification of documents will be done. Those candidates, who have been found eligible in verification of ducuments shall be eligible for admission in the next phase of recruitment examination.

**(b) Second Phase-** (i) **General knowledge Written Examination**:- General Knowledge examination will be of objective type and it will be of 50 marks. Each question will be of one mark. After General Knowledge Examination candidates, maximum 15 times of the number of posts advertised, on the basis marks obtained and caste category-wise shall be given chance to participate in the next phase of recruitment examination.

(ii) **Professional Knowledge Written Examination:-** Professional Knowledge examination shall be of 100 marks and will be of objective type. In this professional examination, questions of trade retated to posts shall be asked and for qualifying this examination Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes candidates have to secure 40 percent marks and Un-reserved category candidates have to secure 50 perccnt marks.

(iii) **Bonus Marks (30 marks)**:- For the purpose of special skill of candidates in the below mentioned heads, 10 marks has been allotted for each head, -

(a) Candidates holding "C "certificate in N.C.C.

(b) Candidates related to naxalite victims families and related to families residing in relief camp in

naxal affected areas.

(c) Candidates having certificate of 4 years graduation in engineering in place of 3 years technical diploma as minimum professional qualification.

(iv) **Interview (20 marks):-** Interview will be of 20 marks, during which marks will be given as per candidate's appearance expression, communication and general knowledge.

(v) **Selection List:-** Total marks will be 200 marks (General Knowledge - 50 Marks + Professional Knowledge - 100 Marks + Bonus - 30 marks and Interview - 20 mark). Firstly, merit list shall be prepared for un-reserved posts from all categories of candidates, this list shall also include such candidates of reserved categories of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who are eligible on the basis of merit list and who also fulfill the eligibility criteria for un-reserved post. Thereafter, Caste-wise separate merit list shall be prepared for advertised reserved post for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes candidates.

(vi) **Approval of Selection List:-** (a) Immediately after examination the selection list, prepared by the selection committee shall be forwarded alongwith all necessary records as per the scheduled program of police headquarters to Inspector General of Police, Administration/ Chhattisgarh Armed Force, Police Head Quarters Raipur, which shall be approved by them after examination.

(b) Selection list shall either be completely approved or completely rejected, few names shall not be approved or rejected. Approval Officers, in the condition of not approving the selection

list, shall mention the reasons at the time of rejecting the selection list.

**(3)** Out of total vacancies available for direct recruitment, posts shall be reserved for the candidates, who are members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes respectively as per rules of the Goverment of Chhattisgarh.

**(4)** At the time of filling vacancies so reserved, such candidates, who are members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list prepared under rule 12, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

**(5)** Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) who are declared eligible for appointment by the Appointing Authority keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) as per sub-rule (2) as the case may be.

**(6)** There shall be 30% posts reserved for women candidates, in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. The reservation shall be Horizontal and Compartment-wise.

**(7)** In such cases, where certain experience period has been prescribed as an essential condition for the post to be filled by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authority that there is a possibility of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, the Appointing Authority may relax the condition of experience in respect of the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

(8) In addition to the above, posts for persons with disability and ex-servicemen shall be reserved in accordance with the directions issued by the Government, from time to time.

**(B) Direct recruitment through selection** (1) (i) The selection of the candidates to the service shall be held at such intervals as may be determined by the Appointing Authority.

(ii) The selection of candidates shall be done by the Selection Committee based on interview.

(iii) Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority at appropriate time intervals.

(2) At the time of recruitment in the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under this Act by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall be applicable.

(3) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(4) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) who are declared eligible for appointment by the Appointing Authority keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

(5) There shall be 30% posts reserved for women candidates, in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special

Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. The reservation shall be Horizontal and Compartment-wise.

**(6)** In such cases, where certain experience period has been prescribed as an essential condition for the post to be filled by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authority that there is a possibility of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, the Appointing Authority may relax the condition of experience in respect of the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

**(7)** In addition to the above, posts for persons with disability and ex-servicemen shall be reserved in accordance with the directions issued by the Government, from time to time.

**12. List of candidates recommended by the Committee.-** **(1)** The Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority, arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as may be determined by the Selection Committee and a list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who, though not qualified by such standard but declared by the Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in the administration.

**(2)** Lists so prepared under sub-rule (1) shall also be published for information to the general public.

**(3)** Subject to the provisions of these rules and the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

**(4)** The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

**13. Probation.** – Every person recruited directly to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

**14. Interpretation.** – If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

**15. Relaxation.** – Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such manner as may appear to him to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

**16. Repeal and saving.**– **(1)** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

**(2)** Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regards.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. K. MATHUR, Deputy Secretary.

## SCHEDULE-I

### (See rule 5)

| S.No | Name of the post included in the Service | Number of posts | Classification | Pay scale | Grade Pay | Appointing Authority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Junior- Engineer Architect | 02 | Non-Gazetted State Cadre Posts | 9300-34800 | 4200 | Inspector General of Police |
| 2. | Sub-Inspector (Junior -Engineer Civil) | 34 | do | 9300-34800 | 4200 | do |
| 3. | Sub-Inspector (Junior - Engineer Electrical) | 22 | do | 9300-34800 | 4200 | do |
| 4. | Sub-Inspector (Junior - Engineer Computer trained) | 04 | do | 9300-34800 | 4200 | do |
| 5. | Sub Inspector (Junior - Engineer Serve) | 20 | do | 9300-34800 | 4200 | do |
| 6. | Assistant Sub Inspector (Draftsman) | 02 | do | 9300-34800 | 4200 | do |
| 7. | Head Constable (Typist) | 04 | do | 5200-20200 | 2200 | Supritendent of Police/ Commandent |
| 8. | Head Constable (Fitter) | 04 | do | 5200-20200 | 2200 | do |
| 9. | Head Constable (Auto Mechanic) | 04 | do | 5200-20200 | 2200 | do |

## SCHEDULE-II
**(See rule 6)**

| S.No. | Name of Service | Number of posts | Percentage of number of posts to be filled | | | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | By Direct Recruitment vide Rules 6(1)(a) | By Promotion of members of service vide Rules 6(1)(b) | By Tempraray Transfer from other service vide Rules 6(1)(c) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Junior - Engineer Architect | 02 | 100 % | - | - | |
| 2. | Sub-Inspector (Junior - Engineer Civil) | 34 | 100 % | - | - | |
| 3. | Sub-Inspector (Junior - Engineer Electrical) | 22 | 100 % | - | - | |
| 4. | Sub-Inspector (Junior - Engineer Computer trained) | 04 | 100 % | - | - | |
| 5. | Sub Inspector (Junior - Engineer Serve) | 20 | 100 % | - | - | |
| 6. | Assistant Sub Inspector (Draftsman) | 02 | 100 % | - | - | |
| 7. | Head Constable (Typist) | 04 | 100 % | - | - | |
| 8. | Head Constable (Fitter) | 04 | 100 % | - | - | |
| 9. | Head Constable (Auto Mechanic) | 04 | 100 % | - | - | |

## SCHEDULE-III
## (Sec rule 8)

| S.No. | Name of post | Minimum age limit | Maximum age limit | Prescribed educational qualification | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Junior - Engineer Architect | 18 years | 30 years | 12th class passed and three years diploma in Architect Engineering from any institution recognized by the Government | |
| 2. | Sub-Inspector (Junior - Engineer Civil) | ...do... | ...do... | 12th class Passed and Three years diploma in Civil Engineering from any institution recognised by the Government | |
| 3. | Sub-Inspector (Junior - Engineer Electrical) | ...do... | ...do... | 12th class Passed and Three years diploma in Electrical Engineering from any institution recognised by the Government | |
| 4. | Sub-Inspector (Junior - Engineer Computer trained) | ...do... | ...do... | 12th class Passed and three years Diploma in Computer Engineering from any institution recognised by the Government | |
| 5. | Sub-Inspector (Junior - Engineer Serve) | ...do... | ...do... | 12th class Passed and Three years diploma in Civil Engineering from any institution recognised by the Government | |
| 6. | Assistant Sub Inspector (Draftsman) | ...do... | ...do... | 12th class Passed and Diploma in Architect or Certificate in Electrical/Machnical Engineering Draughtsmanship from Industrial Training Institute. or Surveyor Trade Certificate or Apprenticeship Certificate of Industrial Council of Vocational Training (3 years) | |
| 7. | Head Constable | ...do... | ...do... | 12th class Passed and one | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | (Typist) | | | year diploma in computer application/programming from any recognised institution And should have speed of 8000 key depression per hour in data entry. | |
| 8. | Head Constable (Fitter) | ...do... | ...do... | 10th class Passed and Fitter Trade Certificate from ITI/ equivalent instution recognised by the Government | |
| 9. | Head Constable (Auto Mechanic) | ...do... | ...do... | 10th class Passed and Auto Machanic Trade Certificate from ITI/ equivalent instution recognised by the Government | |

**Note**–The upper age limit shall be relaxable for candidates who are bonafide resident of State of Chhattisgarh, as per the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.